नईदुनिया

संपादकीय

लक्ष्य बड़ा है, पर रास्ता कठिन

दिल्ली की ईवी नीति 2.0 से उम्मीदें और चुनौतियां

दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी 2.0 को मंजूरी देकर बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि 1 जुलाई से नई नीति लागू होगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक राजधानी में पंजीकृत होने वाले 95 प्रतिशत नए वाहन इलेक्ट्रिक हों। चार वर्षों में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश चार्जिंग नेटवर्क, स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर किया जाएगा। दावा है कि 31 मार्च 2030 तक प्रदूषण मुक्त दिल्ली का सपना साकार होगा। लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना आसान नहीं होगा।

नई नीति के तहत 1 जनवरी 2027 से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो का नया पंजीकरण होगा। नए सीएनजी ऑटो का पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2028 से दोपहिया वाहनों का नया पंजीकरण भी केवल इलेक्ट्रिक श्रेणी में होगा। सरकार बस, टैक्सी और मालवाहक वाहनों को भी चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बनाना चाहती है। चार्जिंग स्टेशन हर तीन किलोमीटर पर स्थापित करने और बैटरी अदला-बदली केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिनी जाती है। सर्दियों में पीएम 2.5 का स्तर कई बार 500 के पार पहुंच जाता है। वाहनों से होने वाला प्रदूषण इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। यदि यह नीति सफल होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कणों का उत्सर्जन घटेगा। इससे जनस्वास्थ्य में सुधार होगा, अस्पतालों पर दबाव कम होगा और कार्य दिवसों की हानि भी घटेगी।

15,000 करोड़ रुपये का निवेश रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। बैटरी निर्माण, चार्जर उत्पादन, वाहन असेंबली और रखरखाव के क्षेत्र में हजारों नौकरियां बनेंगी। कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी और उपभोक्ताओं का ईंधन खर्च कम होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की संचालन लागत पेट्रोल वाहनों की तुलना में काफी कम है, जिससे मध्यम वर्ग को सीधा लाभ मिल सकता है।

हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की है। वर्तमान में दिल्ली में सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंटों की संख्या लक्ष्य के मुकाबले बहुत कम है। ईवी चार्जिंग बढ़ने से बिजली ग्रिड पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, इसलिए बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करना होगा। दूसरी चुनौती लिथियम-आयन बैटरियों की ऊंची कीमत और उनके आयात पर निर्भरता है। बैटरी रीसाइक्लिंग की प्रभावी व्यवस्था भी जरूरी होगी। तीसरी चुनौती उपभोक्ताओं की स्वीकार्यता है। सब्सिडी के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी अपेक्षाकृत महंगे हैं।

नीति की सफलता पूरी तरह उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। सरकार को चार्जिंग हब का तेजी से विस्तार करना होगा, ईवी चार्जिंग के लिए रियायती बिजली दरें लागू करनी होंगी और स्क्रैपिंग प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। साथ ही नागरिकों को भी सार्वजनिक परिवहन, साझा वाहन और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। यदि सरकार और जनता मिलकर प्रयास करें, तो प्रदूषण मुक्त दिल्ली का सपना साकार हो सकता है। अन्यथा यह महत्वाकांक्षी नीति भी केवल फाइलों तक सीमित रह जाएगी।

आजकल

सीमांकन में लूट, नापतौल की आड़ में किसान से वसूली का खेल

भोपाल जिले में राजस्व विभाग की साख पर गंभीर सवाल उठे हैं। खबर के अनुसार, 30 सरकारी मशीनें होने के बावजूद सीमांकन का काम निजी सर्वेयरों के भरोसे चल रहा है। आरोप है कि आरआई और पटवारी किसानों से प्रति एकड़ सीमांकन के नाम पर 10 हजार रुपये तक वसूल रहे हैं। यह केवल भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि व्यवस्था की विफलता का प्रमाण है। जनसुनवाई में पहुंच रही शिकायतें बताती हैं कि सरकारी तंत्र खुद नियमों को तोड़कर दलाल तंत्र को बढ़ावा दे रहा है।

जिले में सीमांकन के लिए 30 सरकारी मशीनें मौजूद हैं। हर मशीन की कीमत लाखों रुपये है और प्रशिक्षित कर्मचारी भी तैनात हैं। इसके बावजूद किसानों को निजी सर्वेयरों का सहारा लेना पड़ रहा है। कारण साफ है-मशीनें या तो खराब हैं या उनका उपयोग नहीं हो रहा। किसान का आरोप है कि पटवारी और आरआई टालमटोल करते हैं और अंततः निजी सर्वेयर बुलाने की सलाह देते हैं। निजी सर्वेयर 10 से 20 हजार रुपये तक वसूलते हैं, जबकि सरकारी शुल्क इससे कहीं कम है।

सीमांकन में देरी से भाई-भाई के विवाद बढ़ते हैं, बैंक ऋण और फसल बीमा जैसी सुविधाएं प्रभावित होती हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर वसूली का खेल चलता है। आरोप है कि भुगतान नहीं करने पर रिपोर्ट में जानबूझकर गड़बड़ी कर दी जाती है, जिससे मामला अदालत तक पहुंच जाता है।

सरकार को तत्काल 30 सरकारी मशीनों का ऑडिट कर उन्हें चालू करना चाहिए। सीमांकन की समय-सीमा तय हो, शुल्क सूची सार्वजनिक की जाए और लोक सेवा गारंटी कानून के तहत देरी पर जवाबदेही तय हो। ड्रोन, सैटेलाइट और जीआईएस आधारित डिजिटल सीमांकन प्रणाली अपनाकर पारदर्शिता लाई जा सकती है। सीमांकन किसान के अधिकार और उसकी जमीन की पहचान का प्रश्न है। यदि सरकारी संसाधन होने के बावजूद किसान को निजी वसूली का शिकार होना पड़े, तो यह पूरी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न है। जरूरत है कि नापतोल का यह खेल बंद हो और किसान को उसका अधिकार पारदर्शी, समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से मिले।

28 प्रदेश, 551 जिले, 42 फीसदी कम बारिश से संकट गहराया

मानसून रूठा, खेत सूखा

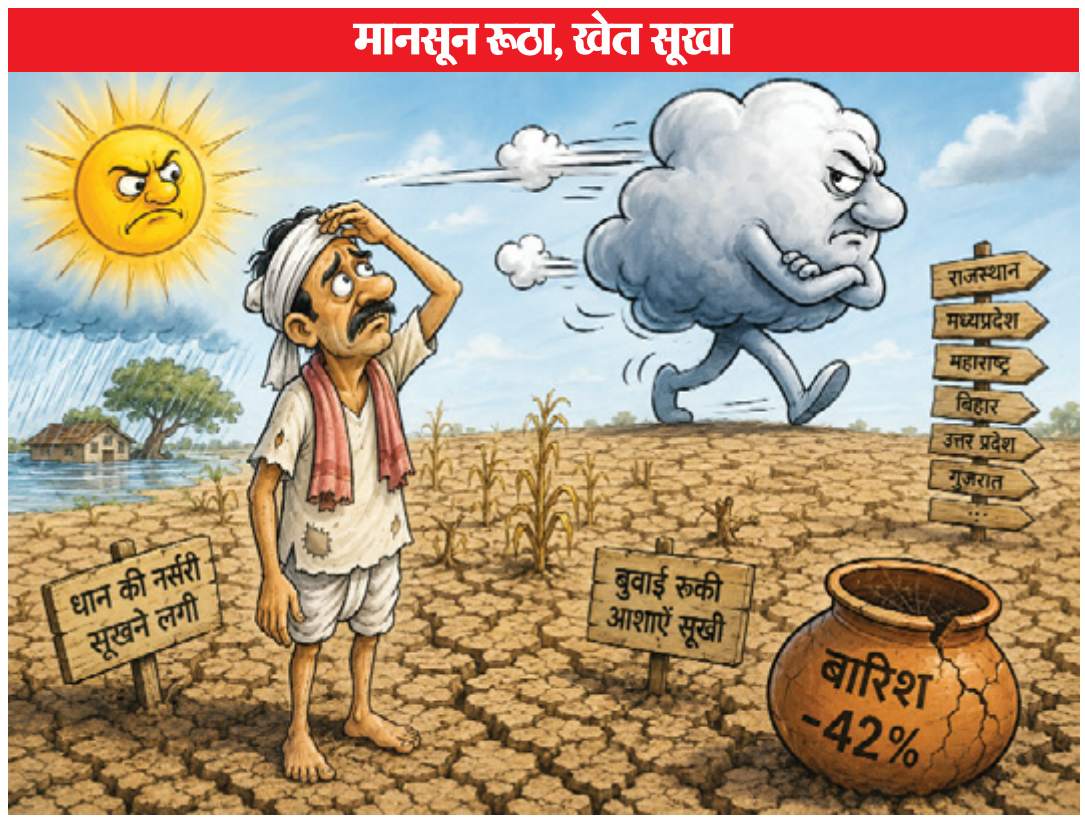

आसमान ने इस बार किसानों से मुंह मोड़ लिया है। जून माह में देशभर में मानसून की बेरुखी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1 जून से 29 जून तक देश में सामान्य से 42 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। यह गिरावट केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि करोड़ों किसानों की उम्मीदों का सूखना है। 28 प्रदेशों और 741 में से 551 जिलों में बारिश की कमी ने खरीफ की बुवाई पर ग्रहण लगा दिया है।

आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश के बड़े कृषि उत्पादक राज्यों में हालत सबसे खराब है। राजस्थान में 20 से ज्यादा जिलों में मानसून अब तक पहुंचा ही नहीं है। वहां औसतन 10 दिन की देरी हो चुकी है। गुजरात, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के बड़े हिस्सों में बादल मंडरा रहे हैं, पर बरस नहीं रहे। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में धान की नर्सरी सूखने लगी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में धान की रोपाई रुक गई है। पंजाब और हरियाणा में भूजल पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि नहरों में पानी नहीं है और किसान ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं।

असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश ने नुकसान किया है। सोमवार को असम के धेमाजी जिले में नदी में आई बाढ़ से 300 मीटर लंबा लोहे का रेलवे पुल बह गया। इससे कई इलाकों का सड़क और रेल संपर्क टूट गया है। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ सूखा और दूसरी तरफ बाढ़, यह मौसम का दोहरा वार है।

देश में खरीफ की कुल बुवाई का लक्ष्य 1090 लाख हेक्टेयर है, पर अब तक सिर्फ 260 लाख हेक्टेयर में ही बुवाई हो पाई है, जो सामान्य से 35 प्रतिशत कम है। धान, दलहन, तिलहन, कपास और मक्का, सभी फसलों की बुवाई पिछड़ गई है। कृषि मंत्रालय मान रहा है कि अगर अगले सात दिन में अच्छी बारिश नहीं हुई, तो खरीफ उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। अनाज, दलहन और खाद्य तेल की कीमतों में तेजी आएगी और महंगाई का दबाव बढ़ेगा।

मानसून की 42 फीसदी कमी केवल मौसम की खबर नहीं है। यह देश की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और अर्थव्यवस्था से जुड़ा सवाल है। 28 प्रदेशों और 551 जिलों में कम बारिश ने बता दिया है कि हम प्रकृति के भरोसे कब तक रह सकते हैं। अब वक्त है कि सरकार, किसान, वैज्ञानिक और समाज मिलकर पानी बचाने और सूखे से लड़ने की रणनीति बनाएं। वरना एक सूखा महीना पूरे साल की थाली खाली कर सकता है। बादल अगर रूठ गए हैं, तो इंतजाम हमें करने होंगे, क्योंकि खेत सूखा तो देश की रोटी भी सूख जाएगी।

पटियाला में वर्षा के बिना सूखती धान की फसल को देखता किसान आंखों में सवाल लिए खड़ा है। उसने कर्ज लेकर बीज और खाद डाला था, पर खेत में दरारें पड़ गई हैं। राजस्थान के बाड़मेर में बाजरा की बुवाई का समय निकल रहा है, पर खेत तैयार नहीं हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में सोयाबीन के बीज अंकुरित होकर सूख गए हैं। बुंदेलखंड में किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। हर जगह एक ही सवाल है कि बादल कब बरसेंगे?

मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि इस बार अल नीनो का असर मजबूत है। प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ने से भारत में मानसून की हवा कमजोर पड़ गई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र नहीं बना और अरब सागर में भी कोई प्रभावी सिस्टम सक्रिय नहीं रहा। जून में मानसून ट्रफ सामान्य से उत्तर में रही, जिससे मध्य और उत्तर भारत सूखा रह गया। अब जुलाई के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने की उम्मीद है, पर तब तक देरी का नुकसान हो चुका होगा।

कम बारिश का असर केवल खेतों पर नहीं है। देश के 150 प्रमुख जलाशयों में पानी का स्तर उनकी कुल क्षमता का सिर्फ 28 प्रतिशत रह गया है। पिछले साल इसी समय यह 35 प्रतिशत था। मध्यप्रदेश के गांधी सागर, राजस्थान के बीसलपुर और महाराष्ट्र के जायकवाड़ी बांध में पानी तेजी से घट रहा है। शहरों में पेयजल आपूर्ति पर दबाव बढ़ेगा और उद्योगों को भी पानी की कटौती झेलनी पड़ सकती है।

केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट जारी किया है। कृषि विभाग ने आकस्मिक फसल योजना तैयार करने को कहा है। इसमें कम अवधि वाली दलहन और मोटे अनाज की बुवाई का विकल्प दिया गया है। बीमा कंपनियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत तेजी से सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। पर जमीन पर किसान कह रहे हैं कि बीमा का दावा समय पर नहीं मिलता और कागजी प्रक्रिया लंबी है।

हर जिले में मौसम आधारित कृषि सलाह समय पर पहुंचे। कृषि विज्ञान केंद्र मोबाइल संदेश और रेडियो के जरिए किसानों को बताएं कि अब कौन-सी फसल लगानी चाहिए। दूसरा, मनरेगा को सिंचाई से जोड़ा जाए। खेत-तालाब, नाला निर्माण और जल संरक्षण के काम तुरंत शुरू हों।

तीसरा, बीज और खाद की वैकल्पिक व्यवस्था हो। कम पानी में होने वाली बाजरा, ज्वार, मूंग और उड़द के बीज मुफ्त बांटे जाएं। चौथा, ग्रामीण इलाकों में दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसान ट्यूबवेल चला सकें। पांचवां, फसल बीमा का भुगतान 30 दिन के भीतर हो और नुकसान का आकलन सैटेलाइट के माध्यम से किया जाए, ताकि पटवारी की रिपोर्ट का इंतजार न करना पड़े। छठा, शहरों में पानी की बर्बादी रोकी जाए और वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) अनिवार्य किया जाए।

केवल तात्कालिक राहत से बात नहीं बनेगी। देश को जलवायु-अनुकूल खेती की ओर बढ़ना होगा। सूखा सहन करने वाली किस्में, ड्रिप सिंचाई, तालाब आधारित खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना जरूरी है। हर पंचायत में जल बजट बने और भूजल का लेखा-जोखा रखा जाए। नदियों को जोड़ने और छोटे बांध बनाने की योजनाओं में भी तेजी लानी होगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

मध्यप्रदेश में प्रमोशन का खुलेगा रास्ता....

अदालती उलझनों एवं सरकारी कार्यवाही में अटके मामले

अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार करते हुए लगभग एक दशक बीत गया है। इस न्यायिक बाधा का खामियाजा केवल राज्य सरकार के कैडर को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रमोशन समय पर हो जाते हैं, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसके लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ रहा है। नई प्रमोशन पॉलिसी में 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की भी अनदेखी की गई है।

मध्य प्रदेश में अफसरों और कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार करते लगभग एक दशक बीत चुका है। अब मोहन सरकार ने प्रमोशन का रास्ता खोलने की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सभी विभागों को विधिक परामर्श के अनुसार कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, प्रमोशन का मामला अब भी प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर अदालत के अंतिम फैसले पर टिका हुआ है। यदि सरकार अदालत के निर्णय के अधीन सशर्त प्रमोशन करना चाहती थी, तो यह काम पहले भी किया जा सकता था।

उन अफसरों और कर्मचारियों का क्या दोष है, जो सरकार की प्रमोशन पॉलिसी पर अदालत के निर्णय के इंतजार में बिना प्रमोशन ही सेवानिवृत्त हो गए? प्रमोशन पॉलिसी को पहली बार हाई कोर्ट ने 2016 में निरस्त किया था। उस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार पराजित हुई। इस पराजय के पीछे अन्य कारणों के साथ कर्मचारियों में उपजा आक्रोश भी एक कारण माना गया। इसके बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार भी प्रमोशन पर कोई निर्णय नहीं ले सकी।

कांग्रेस सरकार गिरने के बाद शिवराज सिंह चौहान फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन तब भी राज्य के कर्मचारियों के प्रमोशन पर कोई निर्णय नहीं हो सका। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस बात का श्रेय अवश्य मिलेगा कि उनकी सरकार ने मध्य प्रदेश पदोन्नति नियम, 2025 अधिसूचित किए। इन नए नियमों को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। नए नियमों पर हाई कोर्ट ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया, लेकिन सरकार ने स्वयं अदालत में यह अंडरटेकिंग दी कि याचिकाओं पर फैसला आने तक प्रमोशन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। परिणामस्वरूप, नई प्रमोशन पॉलिसी बनने के बाद भी राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी अब तक प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं।

प्रमोशन से संबंधित याचिकाओं पर अदालत में हुई कार्रवाई भी अब एक विचित्र स्थिति में पहुंच गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने महाधिवक्ता तथा प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिकाओं में सरकार का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता से विधिक परामर्श प्राप्त किया। इस परामर्श से यह स्पष्ट हुआ कि बिना किसी स्थगन आदेश के भी राज्य सरकार की अंडरटेकिंग के कारण प्रमोशन रुके हुए थे। हाई कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी। राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं, दोनों का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन जिस पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था, उसके एक न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत हो गए और दूसरे न्यायाधीश का स्थानांतरण हो गया। परिणामस्वरूप सुरक्षित फैसला सुनाया नहीं जा सका।

अब स्थिति यह है कि इन याचिकाओं की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में नई पीठ गठित होगी और फिर से सुनवाई होगी। दो वर्ष पहले पूरी हो चुकी सुनवाई अब दोबारा शुरू होगी। नई पीठ की सुनवाई में कितना समय लगेगा, यह कहना कठिन है।

राज्य सरकार का ध्यान इस ओर गया और उसने अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लंबे इंतजार को समाप्त करने के बारे में विचार किया। विधिक परामर्श में अनेक न्यायिक उद्धरणों के आधार पर यह राय दी गई कि प्रमोशन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठकें आयोजित की जा सकती हैं और प्रमोशन आदेश भी जारी किए जा सकते हैं, लेकिन ये सभी आदेश हाई कोर्ट में लंबित रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। अर्थात यदि निर्णय पदोन्नति नियम, 2025 के विरुद्ध आता है, तो उसके अंतर्गत हुई सभी डीपीसी और जारी किए गए प्रमोशन आदेश स्वतः अमान्य हो जाएंगे। यानी अफसरों और कर्मचारियों के प्रमोशन के रास्ते में न्यायिक बाधा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

जीएडी ने अपने परिपत्र में विभागों को स्पष्ट रूप से डीपीसी आयोजित करने के निर्देश नहीं दिए हैं। उसने पूरी जिम्मेदारी विभागाध्यक्षों और विभागीय सचिवों पर छोड़ दी है। परिपत्र में केवल इतना कहा गया है कि विधिक परामर्श के अनुसार कार्रवाई की जाए। जबकि विधिक परामर्श स्वयं यह कहता है कि रिट याचिकाओं पर अंतिम निर्णय के बाद ही पदोन्नति नियम, 2025 का भविष्य तय होगा।

अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार करते हुए लगभग एक दशक बीत गया है। इस न्यायिक बाधा का खामियाजा केवल राज्य सरकार के कैडर को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (आईएफएस) जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के प्रमोशन समय पर हो जाते हैं, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसके लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ रहा है। नई प्रमोशन पॉलिसी में 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की भी अनदेखी की गई है। जबकि 2016 से ही प्रमोशन रुके हुए हैं और उस अवधि के दौरान वर्षवार डीपीसी होना विधिसम्मत प्रक्रिया थी। भले ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पदोन्नति का पद न मिले और नया वेतनमान भी न दिया जाए, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि पर वेतन का पुनर्निर्धारण होना चाहिए तथा उसी के अनुसार उनकी पेंशन तय की जानी चाहिए। जिन कर्मचारियों को समयमान या उच्च वेतनमान मिलने के कारण पेंशन में वित्तीय नुकसान नहीं हुआ, उनकी स्थिति अलग है, लेकिन जिन कर्मचारियों को समयमान या वेतनमान नहीं मिला और प्रमोशन भी नहीं हुआ, उनकी कम पेंशन से हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी?

राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक विभाग में हर वर्ष डीपीसी आयोजित हो और प्रत्येक पात्र अधिकारी तथा कर्मचारी को उसकी नियत तिथि पर प्रमोशन मिले। प्रमोशन केवल पदोन्नति नहीं, बल्कि कर्तव्यनिष्ठा का सम्मान भी है। इससे कार्य के प्रति उत्साह और प्रतिबद्धता बढ़ती है। जो सरकारी व्यवस्था अपने ही अधिकारियों और कर्मचारियों को उनका वाजिब अधिकार समय पर नहीं दे सकती, उससे सुशासन की अपेक्षा करना कठिन है।

अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्षों तक प्रमोशन का इंतजार करना एक प्रकार से प्रशासनिक दुर्व्यवहार कहा जा सकता है। वर्तमान सरकार इस बात के लिए अवश्य सराहना की पात्र है कि उसने नई प्रमोशन पॉलिसी बनाई। जब उस पॉलिसी पर हाई कोर्ट में मामला लंबा खिंचने लगा, तब विधिक परामर्श लेकर प्रमोशन की बाधा दूर करने का प्रयास भी किया।

वैसे भी सरकारी तंत्र नियमित कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। राज्य सरकार स्वयं हाई कोर्ट में बता चुकी है कि केवल 40 प्रतिशत अमले के सहारे व्यवस्था चल रही है। लगातार सेवानिवृत्तियां हो रही हैं, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं और प्रमोशन की स्थिति यह है कि कर्मचारी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिना प्रमोशन के बीता यह दशक निश्चित रूप से पूरे सिस्टम के लिए एक सबक है। जितनी जल्दी रुके हुए प्रमोशन होंगे, उतना ही सरकार, प्रशासनिक व्यवस्था और जनहित-तीनों का भला होगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

सिर्फ गर्मी नहीं, तैयारी की कमी भी बन रही है बड़ी आफत

यूरोप को दुनिया के सबसे विकसित इलाकों में गिना जाता है। वहां की सड़कें, रेल व्यवस्था, अस्पताल और बिजली व्यवस्था आधुनिक मानी जाती हैं। लेकिन पिछले सप्ताह पड़ी भीषण गर्मी ने दिखा दिया कि प्रकृति के सामने केवल विकास काफी नहीं होता। अगर समय के साथ तैयारी नहीं बदली जाए तो सबसे मजबूत व्यवस्था भी कमजोर पड़ सकती है।

इस बार यूरोप में तापमान इतना बढ़ गया कि कई देशों की सामान्य जिंदगी प्रभावित हो गई। फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन में गर्मी ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान के कारण रेल पटरियों के फैलने का खतरा पैदा हो गया, जिससे कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। कहीं ट्रेनों का वातानुकूलन काम नहीं कर पाया तो कहीं बिजली व्यवस्था पर इतना दबाव बढ़ा कि हजारों घरों की बिजली चली गई।

फ्रांस के कई परमाणु बिजली संयंत्रों को भी अपना उत्पादन कम करना पड़ा। इन संयंत्रों में रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बार नदियों का पानी भी इतना गर्म हो गया कि नियमों के अनुसार उसे वापस नदी में छोड़ना पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता था। इसलिए कई संयंत्रों को धीमी गति से चलाना पड़ा।

गर्मी का सबसे ज्यादा असर लोगों की सेहत पर पड़ा। फ्रांस में दिल का दौरा पड़ने के मामलों में अचानक बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्पेन में भी मौतों की संख्या बढ़ने के संकेत मिले। अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया और सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं को हाई अलर्ट पर रखना पड़ा।

सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन देशों को आधुनिक जीवन का उदाहरण माना जाता है, वहीं लोग रात में भी चैन की नींद नहीं सो पाए। पुराने मकानों की मोटी दीवारें, जो कभी सर्दी से बचाने के लिए बनाई गई थीं, अब गर्मी को अंदर ही रोक रही हैं। घर रातभर ठंडे नहीं हो पा रहे थे। लोग आधी रात को पार्कों में जाकर बैठने लगे, पोर्टेबल एसी खरीदने की होड़ मच गई और कई परिवारों ने होटल में रात बिताना बेहतर समझा।

वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरोप दुनिया का

सबसे तेजी से गर्म होता महाद्वीप बन गया है। वहां हर दस साल में औसतन एक डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ रहा है। बड़ी समस्या यह है कि वहां की सड़कें, रेलवे लाइनें, सरकारी इमारतें और मकान उस समय बनाए गए थे, जब इतनी भीषण गर्मी की कल्पना भी नहीं की गई थी। इसलिए अब वही ढांचा इस बदलती जलवायु का सामना नहीं कर पा रहा है। यूरोप के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि तैयारी की कमी का परिणाम भी है। पिछले कई वर्षों से सरकारें इमारतों को गर्मी के अनुकूल बनाने, सार्वजनिक भवनों में सुधार करने और शहरों को ज्यादा हराभरा बनाने की बातें करती रही हैं। योजनाएं भी बनीं, लेकिन उन पर पर्याप्त पैसा खर्च नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि कागजों पर तैयारियां दिखती रहीं और जमीन पर समस्याएं बढ़ती चली गईं।

यह घटना भारत के लिए भी बड़ी सीख है। हमारे देश में भी हर साल गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। कई शहरों में तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। यदि अभी से शहरों की योजना नहीं बदली गई, पेड़ नहीं लगाए गए, जल स्रोतों की रक्षा नहीं की गई और ऐसी इमारतें नहीं बनाई गईं जो कम गर्म हों, तो आने वाले वर्षों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

गर्मी से बचाव का मतलब केवल एयर कंडीशनर लगाना नहीं है। हर व्यक्ति एसी नहीं खरीद सकता और न ही हर जगह बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है। असली समाधान यह है कि शहरों में ज्यादा हरियाली हो, इमारतों का निर्माण इस तरह हो कि उनमें गर्मी कम प्रवेश करे, छतों पर गर्मी रोकने वाली तकनीक अपनाई जाए और सार्वजनिक स्थानों पर छाया तथा पीने के पानी की बेहतर व्यवस्था हो। सरकारों को भी हीट एक्शन प्लान केवल कागजों तक सीमित रखने के बजाय उसे पूरी गंभीरता से लागू करना होगा।

यूरोप की यह गर्मी पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दे रही है। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की नहीं, आज की समस्या है। इससे बचने के लिए केवल पर्यावरण की चिंता करना काफी नहीं, बल्कि अपने शहरों, घरों और बुनियादी सुविधाओं को भी बदलना होगा। जो देश समय रहते तैयारी कर लेंगे, वही आने वाले वर्षों में इस चुनौती का बेहतर सामना कर पाएंगे। बाकी देशों के लिए यह संकट हर साल और बड़ा होता जाएगा।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)